उत्तराखण्ड राज्य

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल) पिन–263126
☎ 05946-299615, 299616, 299617 E-mail- heukscholarship@gmail.com

पत्रांकः– डिग्री छात्रवृत्ति / 6306 / 2023–24 **दिनांकः–** 29 जनवरी, 2024

सेवा में,

प्राचार्य
समस्त राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर
महाविद्यालय उत्तराखण्ड।

विषयः– **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के मेधावी छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूच्य है कि **"मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना"** का शुभारंभ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2024 को किया गया था, जिसके अंतर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शासकीय महाविद्यालयों / राज्य विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक प्रथम वर्ष के लाभान्वित विद्यार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण की गई थी। कतिपय महाविद्यालयों द्वारा उक्त छात्रवृत्ति के संबंध में निदेशालय से दूरभाष के माध्यम से पृच्छा की जा रही है। तद्क्रम में समस्त महाविद्यालयों को निम्नवत कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे है :–

1. उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0– डिग्री छात्रवृत्ति / 6072 / 2023–24 दिनांकः 18.01.2024 (संलग्न) द्वारा समस्त शासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष के कुल 241 लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची प्रेषित की गई थी। यदि किसी भी अर्ह अभ्यर्थी का नाम उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है एवं महाविद्यालय का नाम सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे महाविद्यालय अपने स्तर से छात्रवृत्ति डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान करेगे।
2. स्नातक मे अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों एवं स्नातकोत्तर के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय स्तर से उक्त छात्रवृत्ति समर्थ पोर्टल में सत्यापन के पश्चात डी0बी0टी के माध्यम से ही प्रदान की जायेगी।
3. उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र सं0: डिग्री बजट / आवंटन 5999 / 2023–24 दिनांकः 12 जनवरी, 2024 के द्वारा समस्त शासकीय महाविद्यालयों को उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है, यदि किसी महाविद्यालय को अतिरिक्त बजट की मांग हो तो वे दिनांक 31.01.2024 तक ई–मेल के माध्यम से **hedegreebudget@gmail.com** को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाविद्यालय शासनादेश सं0– 149416/XXIV-C-2/2023/06(02)2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 मे दी गई व्यस्थानुसार ही कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त महाविद्यालयों को छात्रवृत्ति पोर्टल का छात्र मैनुअल, एडमिन मैनुअल, एडमिन लॉगिन आई0डी0, उक्त योजना के दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।
6. उक्त योजना हेतु समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी के साथ कल दिनांक 30 जनवरी, 2024 प्रातः 11 बजे आन–लाईन माध्यम से एक बैठक आयोजित की जाएंगी। जिसका लिंक आपको पृथक से प्रेषित किया जाएंगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 चन्द्र दत्त सूँठा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

"मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना"
दिशा–निर्देश

1. **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना सत्र 2023–24** से प्रारंभ की जा रही है। जिसमें राज्य के शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नियमित छात्र–छात्राएं लाभार्थी होगे।
2. **स्नातक प्रथम वर्ष** में प्रवेशित नवीन छात्र–छात्राओं, जो 12वीं के परीक्षाफल में न्यूनतम 80 प्रतिशत प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर तैयार संकयावार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः ₹3000, ₹2000, वं ₹1500 मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएंगी।
3. **स्नातक द्वितीय एंव तृतीय वर्ष** में अध्ययनरत छात्रों को विगत वर्ष की_परीक्षाफलों में न्यूनतम 60 प्रतिशत होने पर महाविद्यालय स्तर पर तैयार संकयावार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः ₹3000, ₹2000, वं ₹1500 मासिक छात्रवृत्ति महाविद्यालय स्तर से ही प्रदान की जाएंगी। जिसकी बजट मांग निर्धारित समय में निदेशालय को प्रेषित किया जाना होगा।
4. **स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विभिन्न संकायों में विषयवार छात्र–छात्राओं** को विगत वर्ष के परीक्षाफलों में न्यूनतम 60 प्रतिशत होने पर महाविद्यालय स्तर पर तैयार विषयवार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को क्रमशः ₹5,000, ₹3,000 एवं ₹2,000 प्रतिमाह देय होगा। जिसकी बजट मांग निर्धारित समय में निदेशालय को प्रेषित किया जाना होगा।
5. **स्नातक की प्रत्येक संकाय** में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्र–छात्राओं में से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थियों, जिनके प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक हो तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1500 प्रति माह देय होगा। उक्त 10 प्रतिशत में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान वालो से अलग होगें। यदि 10 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 10 प्रतिशत का ही चयन होगा।
6. वर्ष 2023–24 (जून, 2024 के उपरान्त) में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जिनकी न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने पर क्रमशः ₹35,000, ₹25,000, व ₹20,000 एकमुश्त देय होगा। जिसकी बजट मांग आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में निदेशालय को प्रेषित किया जाना होगा।
7. वर्ष 2023–24 (जून, 2024 के उपरान्त) स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को जिनकी न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होने पर क्रमशः ₹60,000, ₹35,000, व ₹25,000 एकमुश्त देय होगा। जिसकी बजट मांग आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में निदेशालय को प्रेषित किया जाना होगा।
8. छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 01 जुलाई से 30 जून (12 माह) की गणना अवधि उपरान्त ही दो किश्तों में देय होगी, छात्रों को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
9. इस योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाएंगा जिन्होने बिना किसी अवरोध के परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अंक सुधार परीक्षा वाले छात्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. छात्र–छात्रा को राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से संस्थागत विद्यार्थी के रूप मे प्राप्त किसी अन्य छात्रवृत्ति की दशा मे यह चयन करने का अधिकार होगा कि वह कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। कोई भी विद्यार्थियों एक ही वर्ष में राज्य सरकार से एक से अधिक प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं लेगे।
11. **शासनादेश संख्या– 149416 दिनांक– 25.08.2023 में वर्णित प्राविधानों एवं नियमों के अंतर्गत महाविद्यालय इस योजना का सफल संचालन करना सुनिश्चित करें।**

गोविन्द पाठक
सहायक निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय
हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

निदेशक, (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)